[थम बार असाधारण राज-प, भाग 4(क) दनांक 4 फरवर, 1976 म" का#शत हुआ]

*व+ध *वभाग

अ+धसूचना

जयपुर, फरवर **4, 1976**

सं/ या प. 2(39)*व+ध।75:--राज6 थान रा7 य *वधान म8 डल का ;न< नां=कत अ+ध;नयम िजसे रा7 यपाल क@ अनुम;त दनांक 4 फरवर, 1976 ई. को ाIC त हुई, एतEEवारा सवFसाधारण क@ सूचनाथF का#शत =कया जाता है :--

<u>राज6 थान लोक सेवा आयोग (=Hया *व;नयमन एवं *व+धमाI यकरण</u>)

<u>अ+ध;नयम, 1976</u>

(अ+ध;नयम सं/ या 5 सन् 1976)

[रा7 यपाल क@ अनुम;त दनांक 4 फरवर,1976को ाIC त हुई]

राज6 थान लोक सेवा आयोग क@ =Hया के *व;नयमन तथा उससे स< बIधत मामलL का *व+धमाI यकरण उपबं+धत करने हेतु अ+ध;नयम।

राज6 थान रा7 य *वधान म8 डल भारत गणरा7 य के सM ताईसव" वषF म" ;न< न#लOखत अ+ध;नयम बनाता है, अथाFत् :-

1. <u>संQRC त नाम एवं ारं< भ</u>.- (1) इस अ+ध;नयम का नाम राज6 थान लोक सेवा आयोग (=Hया *व;नयमन एवं *व+धमाI यकरण) अ+ध;नयम, 1976 है।

(2) यह 26 जनवर, 1950 को वृM त हुआ समझा जायेगा।

2. <u>पWरभाषाएं</u>.- इस अ+ध;नयम म", जब तक *वषय Eवारा आI यथा अपेQRत न हो-

(क) 'आयोग' से राज6 थान लोक सेवा आयोग अ#भेत है; तथा

(ख) 'अ+धकाWरता' से, सं*वधान के अथवा उसके अनुZ छेद 309 के अधीन बनाये गये ;नयमL के अथवा तM समय वृM त =कसी *व+ध के अधीन आयोग के ;त ;नद]श म", आयोग क@ शि^त यां, कतF_ य तथा उसके कृM य अ#भेत है।

3. <u>आयोग क@ =Hया</u>.- (1) आयोग का अ` यR, उसका एक अथवा एक से अ+धक सद6 य संयु^ त अथवा पृ थक् पृथक् aप से आयोग क@ अ+धकाWरता का योग कर सक" गे।

(2) आयोग क@ अ+धकाWरता का योग उप-धारा (1) म" उपबं+धत कार से ;तयो+गता परRाओं, साRाIM कारL, मौOखक परRाओं तथा ऐसी आI य र;त Eवारा =कया जा सकेगा जो M येक मामले म" अथवा सामाI य aप से उ+चत समझी जाय।

(3) आयोग का अ` यR, समय समय पर आयोग का कायF *वतWरत कर सकेगा तथा ऐसा करते समय वह --

(i) =कसी मामले अथवा मामलL के वगF क@ बाबत अथवा सामाI य aप म" आयोग क@ अ+धकाWरता का एकल अथवा संयु^ त aप से योग करने के #लये एक अथवा एक से अ+धक सद6 यL को नाम ;नद]#शत कर सकेगा, तथा

(ii) ऐसे मामलL अथवा मामलL के वगF के #लये ;नदेश कर सकेगा िजनम" आयोग क@ अ+धकाWरता का योग, 6 वयं तथा सम6 त सद6 यL Eवारा संयु^ त aप से अथवा 6 वयं Eवारा एकल aप से अथवा ऐसे एक या एक से अ+धक सद6 यL के साथ संयु^ त aप से =कया जायेगा जैसा उस आदेश म" *व;नदFf ट =कया जाय।

4. <u>आयोग के क;तपय कायh का *व+धमाI यकरण</u>.- =कसी I यायालय के =कसी ;नणFय, iडH@ अथवा आदेश म" अथवा तM समय वृM त =कसी *व+ध म" आI त*वFf ट

=कसी बात के होते हुये भी तथा आयोग के ;त;न+धM व म" अथवा उसके गठन म" =कसी अभाव या ुट के होते हुये भी-

(क) आयोग क@ अ+धकाWरता का योग करने म" अ` यR Eवारा अथवा आयोग के एक या एक से अ+धक सद6 यL Eवारा, धाWरत परRाएं या चयन, क@ गई #सफाWरश" तथा दये गये परामशF अथवा सुझाव सहत, क@ गई सभी बात" एवं कायFवाहयां वैसी ह *व+धमाI य एवं भावी समझी जाय"गी तथा सदैव ह *व+धमाI य एवं भावी रह समझी जाय"गी मानो ऐसे क@ गई बात", कायFवाहयां, धाWरत परRाएं या चयन, क@ गई #सफाWरश" तथा दये गये परामशF अथवा सुझाव, अ` यR सहत आयोग के सम6 त सद6 यL Eवारा =कये गये थे; तथा

(ख) अ` यR Eवारा अथवा आयोग के =कसी एक सद6 य या एक से अ+धक सद6 यL Eवारा, संयु^ त अथवा पृथक् पृथक् aप से, धाWरत परRाओं अथवा चयनL, क@ गई #सफाWरशL, दये गये परामशF अथवा सुझावL सहत क@ गई बातL, कायFवाहयL पर, केवल इस आधार पर =कसी भी I यायालय म" आRेप नहं =कया जायेगा =क ऐसी बात, कायFवाह म", परRा अथवा चयन करने म", #सफाWरश" अथवा परामशF तथा सलाह देने म" आयोग के सम6 त सद6 यL ने कायF नहं =कया था।

5. ;नरसन एवं _ याव्*k.- (1) राज6 थान लोक सेवा आयोग (=Hया *व;नयमन एवं *व+धमाI यकरण) अ` यादेश, 1975 (राज6 थान अ` यादेश 16, सन् 1975) एतEEवारा ;नर#सत =कया जाता है।

(2) ऐसा ;नरसन होते हुये भी उ^ त अ` यादेश के अधीन अथवा अनुसार अ` यR Eवारा अथवा आयोग के =कसी एक सद6 य या एक से अ+धक सद6 यL Eवारा, संयु^ त अथवा पृथक्-पृथक् aप से धाWरत परRा से अथवा चयन, क@ गई #सफाWरश", दये गये परामशF अथवा सुझाव सहत क@ गयी सम6 त बात" एवं कायFवाहयां उनके Eवारा इस अ+ध;नयम के अधीन या अनुसार क@ गई समझी जाय"गी।

गोपालकृf ण शमाF,
शासन स+चव।